लोक सभा

बुधवार, १९ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० पू०

राष्ट्रमंडल आर्थिक सम्मेलन

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : कुछ मास पूर्व संयुक्त राजतंत्र ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने मुझे सूचना दी कि सर्वसम्बद्ध मामलों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्र मंडल के प्रधान मंत्रियों का एक सम्मेलन करने की प्रस्थापना है। यह सुझाव दिया गया था कि इस सम्मेलन को इस वर्ष नवम्बर में किया जाये और सयुक्त राजतंत्र के प्रधान मंत्री ने उसमें आलोच्य विषयों की महत्ता का संकेत किया और वे आतुर थे कि भारत की ओर से उस सम्मेलन में उसके प्रधान मंत्री प्रतिनिधित्व करें। मैंने इस सम्मेलन की महत्ता को समझा, परन्तु मेरे लिए इस समय भारत से जाना बहुत कठिन था जब कि संसद् का अधिवेशन हो रहा है और कई अन्य महत्त्वपूर्ण मामले हैं जिनसे यहां मेरी उपस्थिति अपेक्षित है। अतएव अपने उत्तर में मैंने लन्दन सम्मेलन में उपस्थित होने म अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। परन्तु मैंने यह भी लाख कि मुझे आशा है कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि उपस्थित होगा। अब यह निश्चय किया गया है कि हमारे वित्त मंत्री श्री चिंतामणि देशमुख, हमारे लन्दन उच्चायुक्त श्री बी० जी० खेर के साथ, सम्मेलन में हमारे प्रतिनिधि होंगे। उनकी सहायता के लिए रक्षित बंक के गवर्नर और उच्च पदाधिकारी भी होंगे।

सदन को स्मरण होगा कि राष्ट्रमंडलीय देशों के वित्त मंत्रियों का इस वर्ष के आरम्भ में एक सम्मेलन हूआ जिसमें उन आपातिक उपायों पर विचार किया गया जो जुलाई १९५१ से स्टर्लिंग क्षेत्र के केन्द्रीय स्वर्ण तथा डालर निधियों में द्रुत पतन के कारण उस क्षेत्र के व्यापार तथा भुगतान के लिए उत्पन्न गम्भीर खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक थे। सम्मेलन की सिपारिश पर स्टर्लिंग क्षेत्र की सरकारों ने जो उपाय किये उनके फलस्वरूप स्टर्लिग क्षेत्र के केन्द्रीय स्वर्ण तथा डालर निधियों का पतन मार्च १९५२ से रुक गया है।

इस खतरे को पार करने के लिए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन ने अल्पकालिक तथा आपातित कार्यवाही की सिपारिश तो की ही थी, उसके अतिरिक्त सम्मेलन ने दीर्घकालिक नीतियों पर भी विचार किया था जो कि स्टर्लिग क्षेत्र अपना सकता है जिससे कि इस

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

प्रकार के संकट की पुनरावृत्ति न हो। यह विचार किया गया कि स्टर्लिंग क्षेत्र की उत्पादन शक्ति का शीघ्र विकास होना चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहियें जिनसे वस्तुओं के मूल्यों में अकस्मात उतार-चढ़ाव न हो। इसके आगे सम्मेलन ने यह भी निश्चय किया कि स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों की आर्थिक नीतियों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि स्टर्लिंग का विनिमय हो सके और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तरोत्तर कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाये जिसमें स्टर्लिंग का विनिमय हो सके और यह स्थिति बनी रह सके। स्टर्लिंग विश्वव्यापार के सारवान भाग के लिए भुगतान का एक अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम है अतः बहुअंगी भुगतानों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए स्टर्लिंग की विनिमय-क्षमता एक अत्यावश्यक वस्तु है।

अब जो राष्ट्रमंडलीय आर्थिक सम्मेलन होगा उसका प्रयोजन यह है कि दीर्घ कालिक समस्याओं पर अग्रेतर परामर्श किया जाये और यह देखा जाये कि क्या स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के लिए उस दिशा में कोई पग उठाना संभव है।

यह सम्मेलन २७ नवम्बर को लन्दन में आरम्भ होगा। उसकी कार्यसूची निम्नलिखित है:

(१) हाल ही के वर्षों में आर्थिक विकास और भविष्य की संभावनाओं का सिंहावलोकन।

(२) वैदेशिक आर्थिक नीति के लक्ष्य

(३) इन लक्ष्यों के और उन्हें प्राप्त करने के साधनों के रूप :

(क) वित्तीय नीति;

(ख) आर्थिक विकास;

(ग) व्यापार नीति;

(घ) वस्तु नीति;

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं।

(४) अन्य देशों के साथ सहयोग।

(५) स्टर्लिंग क्षेत्र के अल्पकालिक भुगतान-संतुलन की संभावनायें और १९५३ के लिए नीति।

वित्त मंत्री का विचार ब्रिटेन के लिए २३ नवम्बर १९५२ को रवाना होने का है।

श्री बी० दास (जाजपुर—क्योंझर) : मेरा सुझाव है कि सदन इस प्रश्न पर विचार करे कि भारत को राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में भाग लेना भी चाहिए या नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा निवेदन है, श्रीमान्, कि यह कुछ असाधारण सा सुझाव है। जब तक हम स्टर्लिंग से संसक्त हैं तब तक तो वहां की घटनाओं से हमारा घनिष्ट सम्बन्ध है ही और ऐसे सम्मेलनों में भाग न लेना और हमारे ऊपर प्रभाव डासलने वाली बातों को होने देना अविवेक पूर्ण होगा। यह पृथक् बात है कि हम इससे मूलतः तथा आधारतः असम्बद्ध हो जायें या किसी अन्य व्यवस्था से सम्बन्ध जोड़ लें। परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक, मेरा निवेदन है, श्रीमान्, कि यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्त—उतरपूर्व) : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: किसी मंत्री के वक्तव्य पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। यदि हम सुझाव देने लगें तो मेरे विचार में यह तो बहस छिड़ जायेगी। इसकी अनुमति नहीं है। वे प्रधान मंत्री को सुझाव दे सकते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस सदन में और देश में राष्ट्रमंडल के साथ हमारे वर्तमान आर्थिक सम्बन्ध के विषय में इसदन में

और देश में गम्भीर गलतफहमियां प्रकट की जा चुकी हैं अतः हमें एक दिन अलग रख देना चाहिए जिस दिन वित्त मंत्री के जाने के प्रश्न पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो वही बात है।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : देश में या सदन में कोई गम्भीर विचार अभिव्यक्त नहीं किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम विधायी कार्य को लेते हैं।

चीनी (अस्थायी अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

> "कि चीनी पर अस्थायी कालावधि के लिये एक अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क आरोपित करने तथा संग्रह करने की व्यवस्था करने के विधेयक पर विचार प्रारम्भ किया जाये।"

सदन इस बात को अभिज्ञात करेगा कि यह विधेयक छोटा और मधुर है। यह चीनी के समान ही निरापद है। मुझे आशा है कि सदन इस बात को समझता है कि यह वास्तव में कोई करारोपण नहीं है। इस प्रस्थापित अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का उद्देश्य केवल उस क्षति को पूरा करना है जो १९५१-५२ के नियंत्रित माल के कारखाना-निकासी मूल्य में कमी के कारण हुई है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, सरकार ने इस माल के लिए कारखानों को नियंत्रित मूल्य देने की प्रत्याभूति दी थी। सच बात तो यह है कि यह आरोपण कोई कर नहीं है प्रत्युत चीनी के पुराने और चालू माल के मूल्यों की पुनर्व्यवस्था अर्थात् पुनः औसत बैठाना है।

जिन परिस्थितियों में चीनी के मूल्यों में कमी हुई है वे ये हैं, प्रथमतः १९५१-५२ में फसल बहुत अच्छी हुई। इसके फलस्वरूप गुड़ के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। गुड़ का भाव जो १९५०-५१ में १५ रुपये से बढ़कर २० रुपयेमन हो गया और जनवरी १९५२ में औसतन १४ रुपये मन था, फरवरी में एकदम गिरा और मार्च १९५२ में लगभग ७ रुपये मन तक आया। परिणाम यह हुआ कि गुड़ निर्माण के स्थान पर बहुत सा गन्ना कारखानों में जाने लगा। बहुत से कारखाने अप्रेल के मध्य में बन्द होने की बजाय जून जुलाई तक चलते रहे और १५ लाख टन चीनी बनी जितनी पहले कभी नहीं बनी थी। १९५०-५१ की दो लाख टन चीनी बची थी उसे मिलाकर १७ लाख टन माल हो गया। खपत तो वर्ष में १२ लाख टन से अधिक होने की आशा नहीं है। इस प्रकार अक्तूबर के अन्त में पांच लाख टन नियंत्रित चीनी हमारे पास शेष थी।

विगत ऋतु का काफी माल बचा है इस बात को देखते हुए इस समय के गुड़ के भावों और इस वर्ष की गन्ने की फसल और गन्ने के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों के भावों में गिरावट के रुख को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने निश्चय किया है कि वेक्यूम-पैन चीनी कारखाने १९५२-५३ की ऋतु में गन्ने का न्यूनतम भाव १।-) प्रति मन देंगे जबकि गत वर्ष वह १।।।) प्रति मन था।

भारतीय शुल्क मंडली ने १९५० में अपने प्रतिवेदन में कहा था कि देश में गन्ना उत्पादन की लागत १।=) प्रति मन होती है जिसमें परिवहन का मूल्य तथा उत्पादन के लिए दस प्रति शत लाभ भी सम्मिलित है। मंडली ने गुड़ के लाभ के आधार पर गन्ने का उचित भाव फैलाया था। उनका कहना था कि यदि गुड़ का औसत भाव १३ आने प्रति मन हो तो गन्ने का भाव कुल १।)।